न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 193/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/322)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. गुरजन्ट सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 2. कमलजीत कौर पत्नी गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरविन्द्र कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 2. लखविन्द्र सिंह पुत्र दलौर सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 3. इकबाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 4. खुशवन्त कौर पुत्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 5. गुरदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 6. जसकरण सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 7. प्रकाश सिंह पुत्र सीता सिंह उर्फ सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 8. मलकीत सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 9. शिवराज सिंह पुत्र सीता सिंह उर्फ सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 10. सुखदेव सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 11. सेवक सिंह उर्फ गुरसेवक सिंह पुत्र सीता सिंह उर्फ सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 12. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 09.10.2024

उपस्थितः1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी
2.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

—निर्णय— **दिनांकः13.06.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चक 50 एफ, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के अनुसार खाता संख्या 42/38 में मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 0.632 हैक्टेयर, खाता संख्या 45/33 के मुरब्बा नम्बर 11 की 2.478 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 46/34 के मुरब्बा नम्बर 11, 9 की 9.409 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि में वादीगण के नाम 4.451 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वाहमी बंटवारा अनुसार वादीगण को मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 12 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 13/1 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/3 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 14, 17 ता 20 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 21, 22, 23 प्रत्येक 0.227 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादीगणव प्रतिवादीगण ने अपने-अपने नाम की भूमि का आपसी सहमति व सुविधा अनुरूप वाहमी विभाजन अवश्य कर लिया था, लेकिन राजस्व अभिलेख में भूमि विभाजन अनुरूप पक्षकारान के नाम अलग से दर्ज नहीं हुयी है। पक्षकारान अपने हिस्सा में आयी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है, लेकिन राजस्व अभिलेख में भिन्न भूमि पक्षकारान के नाम से दर्ज होने के कारण पक्षकारान को भारी परशानियो का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने आज से 2 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार सहमति से बंटवारा करवाकर, अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को किलावाईज राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेवे,

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार

किया जाकर राजस्व ग्राम चक 50 एफ, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के अनुसार खाता संख्या 42/38 में मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 0.632 हैक्टेयर, खाता संख्या 45/33 के मुरब्बा नम्बर 11 की 2.478 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 46/34 के मुरब्बा नम्बर 11, 9 की 9.409 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के नाम मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 12 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 13/1 की 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/3 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 14, 17 ता 20 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 21, 22, 23 प्रत्येक 0.227 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथप एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम चक 50 एफ, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के अनुसार खाता संख्या 42/38 में मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 0.632 हैक्टेयर, खाता संख्या 45/33 के मुरब्बा नम्बर 11 की 2.478 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 46/34 के मुरब्बा नम्बर 11, 9 की 9.409 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के नाम 4.451 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण गुरजन्ट सिंह, कमलजीत कौर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर की। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्ध किए गए एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। लिहाजा प्रकरण में पुनः संशोधित डिक्री जारी की गई। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने संधोशित प्राथमिक डिक्री की पालना में पंत्राक 1166 दिनांक 21.05.2025 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम चक 50 एफ, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के अनुसार खाता संख्या 42/38 में मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 0.632 हैक्टेयर, खाता संख्या 45/33 के मुरब्बा नम्बर 11 की 2.478 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 46/34 के मुरब्बा नम्बर 11, 9 की 9.409 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	गुरजन्ट सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। (3.110 हैक्टेयर)	50 एफ	11	1, 2, 3	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
				8 ता 12	1.265 हैक्टेयर	नहरी	10.50
				13/1	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.21
				13/2	0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.84
				19, 20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				21	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				22	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
2	कमलजीत कौर पत्नी गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। (1.341 हैक्टेयर)	50 एफ	11	13/3	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.05
				14	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				17, 18	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				23	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
3	गुरविन्द्र कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।(0.860 हैक्टेयर) लखविन्द्र सिंह पुत्र दलीर सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। (0.131 हैक्टेयर)	50 एफ	11	6	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				15	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				16	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				25	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

संशोधित प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी}

(civil procedure code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरजन्ट सिंह आदि बनाम गुरविन्द्र कौर आदि

धारा अन्तर्गत 53 आरटीए मुकदमा नम्बर 193/2024

निर्णय दिनांकः-09.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व संशोधित डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम चक 50 एफ, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के अनुसार खाता संख्या 42/38 में मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 0.632 हैक्टेयर, खाता संख्या 45/33 के मुरब्बा नम्बर 11 की 2.478 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 46/34 के मुरब्बा नम्बर 11, 9 की 9.409 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के नाम 4.451 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 गुरविन्द्र कौर के नाम 0.860 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 लखविन्द्र सिंह के नाम 0.131 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण गुरजन्ट सिंह, कमलजीत कौर व प्रतिवादीगण गुरविन्द्र कौर, लखविन्द्र सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 07.03.2025 को यह संशोधित पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2025/149 दिनांकः 07.03.2025

प्रतिलिपिः- तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)